



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस)
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत अरटी)


राजस्व आवेदन सं. 139 / 2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी रिजजाक खान पुत्र श्री आभास बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थी रिजजाक खान पुत्र श्री आभास निवासी भाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का एकल राजस्व गांव भाडा के खाता संख्या क्रमशः 116, 148 के खसरा संख्या क्रमशः 66, 53 रकबा क्रमशः 7.1548, 8.4255 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् 2074-77, में उनका नाम रिजजाक पुत्र श्री अबज खान राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्ध नाम रिजजाक पुत्र श्री अबज खान के स्थान पर रिजजाक पुत्र श्री आभास है इस तरह उनका नाम रिजजाक पुत्र श्री अबज खान के स्थान पर रिजजाक पुत्र श्री आभास दुरुस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.12.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी रिजजाक खान पुत्र श्री आभास निवासी भाडा का पटवार हल्का एकल राजस्व गांव भाडा के खाता संख्या क्रमशः 116, 148 के खसरा संख्या क्रमशः 66, 53 रकबा क्रमशः 7.1548, 8.4255 हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् 2074-77, में प्रार्थी का नाम रिजजाक पुत्र श्री अबज खान के स्थान पर रिजजाक पुत्र श्री आभास करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।


(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर सेड़वा

क्रमांक:- 199-01

दिनांक : 30/03/26

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी रिजजाक खान पुत्र श्री आभास निवासी भाडा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

